3-2-17 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16-2-17 को पेश हो।

रीडर

16-2-17 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23-2-17 को पेश हो।

रीडर

23-2-17 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित बास्ते बहस प्रा० हेतु पत्रावली दि० 2-3-17 को पेश हो।

2-3-17 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। प्रा०पत्र 10 C.P.C. पर बहस सुनी गई। बास्ते आदेश पत्रावली दि० 10-3-17 को पेश हो।

10-3-17 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15-3-17 को पेश हो।

रीडर

15-3-17 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। प्रा०पत्र 10 C.P.C. स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत वाद में कार्यवाही स्थगित की जाती है। यह वाद पत्रावली दावा सं० 122/14 गुलाब वगैरा बनाम रामकिशन वगैरा के साथ संलग्न रहे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 73/2015 | 1.7.2015 | 15.3.2017 |
| रामकिशन | बनाम | फूलसिंह वगैरा |

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी0पी0सी0

उपस्थित :–श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट वादी की ओर से

श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा में प्रतिवादीगण फूलसिंह वगैरा की ओर से प्रार्थना पत्र तहत धारा 10 सी0पी0सी0 इस आशय का पेश किया गया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। एक अन्य वाद उनवानी गुलाब वगैरा बनाम रामकिशन वगैरा बाबत घोषणां, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 122/14 ख0नं0 694, 695, 696, 697, 701, 702, 743, 756 के सम्बन्ध में पूर्व में ही माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण रामकिशन बनाम फूलसिंह व उनवानी प्रकरण गुलाब वगैरा बनाम रामकिशन वगैरा में वाद की विषय वस्तु,समस्त खसरा नम्बरान की भूमि एवं पक्षकारान समान होने से हस्तगत प्रकरण रामकिशन बनाम फूलसिंह वगैरा में कोई भी आगामी आदेश माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्णित किए जाने से पूर्व उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में ही विचाराधीन वाद गुलाब वगैरा बनाम रामकिशन वगैरा मु0नं0 122/14 का निस्तारण किया जाना नितान्त आवश्यक है जिससे समान खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में न्यायिक आदेशमें कोई विरोधाभास उत्पन्न न हो। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हस्तगत प्रकरण की आगामी कार्यवाही पूर्व में विचाराधीन वाद गुलाब वगैरा बनाम रामकिशन वगैरा के निस्तारण तक ड्रोप करवाई जावे।

इस प्रार्थना पत्र का वादी की ओर से कोई लिखित जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी0पी0सी0 पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रतिवादीगण के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रस्तुत वाद में उल्लेखित भूमि के सम्बन्ध में एक वाद पूर्व से ही इसी न्यायालय में गुलाब वगैरा बनाम रामकिशन वगैरा के नाम से विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित वाद में एवं वर्तमान वाद में वाद हेतुक, विषय वस्तु एवं पक्षकारान समान होने के कारण सी0पी0सी0 की धारा 10 के तहत वर्तमान वाद में कार्यवाही स्थगित किया जाना उचित है इसलिए वर्तमान वाद रामकिशन बनाम फूलसिंह वगैरा में कार्यवाही स्थगित फरमाई जावे।

वादी के विद्धान वकील ने अपनी बहस में बताया कि पूर्व में प्रस्तुत वाद की कोई प्रमाणित प्रति इस मुकदमे में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अलावा पूर्व वाद के एवं वर्तमान वाद के पक्षकारान व वाद हेतुक समान नहीं हैं बल्कि अलग अलग हैं इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में वादी के विद्धान वकील ने न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 2016(1) पेज 170 पर उल्लेखित निर्णय का हवाला दिया है।

बहस पर मनन किया गया।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादीगण फूलसिंह वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता हैं एवं प्रस्तुत वाद में कार्यवाही स्थगित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.3.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( बाबूलाल जाट )
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी